समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला गोपनीय शाखा)

जिला संयुक्त आदेश

मुख्य सचिव, बिहार, पटना का पत्रांक 136 दिनांक 16-01-2017 /प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-81 दिनांक 12-01-2017 एवं अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के पत्रांक 350 दिनांक 16-01-2017 के आलोक में दिनांक 21-01-2017 को 12:15 बजे अपराह्न से 01:00 बजे अपराह्न तक राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित मानव श्रृंखला तैयार करने का कार्यक्रम निर्धारित है। उक्त अवसर पर जिला के लिए निर्धारित मेन रूट एवं सब रूट पर अपेक्षित संख्या में लोग उक्त तिथि को 12:00 बजे दिन तक आयेंगे एवं 12:15 बजे से 01:00 बजे अपराह्न तक मानव श्रृंखला बनाकर लोग खड़े रहेंगे। उक्त कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 02-01-2017 एवं दिनांक 10-01-2017 को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्राप्त दिशा-निदेश के अनुपालन में मानव श्रृंखला कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु जिला स्तर /प्रखंड स्तर /थाना स्तर पर सुरक्षा एजेंसियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बैठक स्थापित कर कार्यक्रम के सभी पहलुओं पर बैठक आयोजित कर आवश्यक निदेश दिया जा चूका है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 21-01-2017 को विशाल राज्यव्यापी मानव श्रृंखला का निर्माण सामूहिक प्रयास से किया जा रहा है। अतएव मानव श्रृंखला निर्माण में शांति व्यवस्था संधारण हेतु मुख्य सचिव, बिहार, पटना के पत्रांक 136 दिनांक 16-01-2017 द्वारा प्राप्त निदेश, जो इस कार्यालय के ज्ञापांक 129 /गो0 दिनांक 18-01-2017 द्वारा संबंधितों को सम्प्रेषित की जा चुकी है, में दिये गये निदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसे संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी /अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

(1) **पुलिस बल एवं जन समन्वयक, सेक्टर /जोन इन्चार्ज की प्रतिनियुक्ति** :- मानव श्रृंखला के प्रत्येक 200 मीटर पर एक समन्वयक, एक किलोमीटर के दायरे में 5 समन्वयक तथा एक सेक्टर /जोनल प्रभारी की प्रतिनियुक्ति प्रखंड विकास पदाधिकारी /अंचलाधिकारी /थानाध्यक्ष द्वारा की जा चूकी है। सेक्टर इन्चार्ज को निदेश दिया जाता है कि वे समन्वयकों की सहायता से एक किलोमीटर की परिधि में भाग लेने वाले 2000 लोगों की सूची संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को कार्यक्रम के पूर्व सुर्पूद करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही विधि-व्यवस्था संधारण हेतु भी प्रखंड विकास पदाधिकारी /थानाध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से पुलिस बल, जन समन्वयक एवं सेक्टर /जोनल की प्रतिनियुक्ति की गयी है। उक्त सेक्टरों में विधि-व्यवस्था संधारण हेतु निम्नांकित पदाधिकारी /पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति परिशिष्ट-**"क"** के अनुरूप की जाती है।

सभी समन्वयक /सेक्टर प्रभारी /प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मानव श्रृंखला निर्माण के क्रम में कोई अफरा-तफरी न हो, शांतिपूर्वक लोग कतार में खड़े हों एवं 01:00 बजे मानव श्रृंखला समाप्त होने के बाद धीरे-धीरे घर को लौट जाएं।

संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी /अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उक्त निदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

(2) **मानव श्रृंखला में भाग लेनेवाले प्रतिभागियों की सुरक्षा व्यवस्था** :- सभी प्रतिभागी विद्यालय के प्रधानाचार्य /शिक्षक /आशा दीदी /सेविका /सहायिका /पंचायत के मुखिया /सरपंच /वार्ड सदस्य सभी यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके माध्यम से जो लोग आये हैं वे सुरक्षित घर वापस हो जायें। उसके बाद ही आप मानव श्रृंखला स्थान से प्रस्थान करेंगे। यह आपकी नैतिक जिम्मेवारी के साथ-साथ निजी जवाबदेही भी होगी। संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी /अंचलाधिकारी /थानाध्यक्ष /ओ0पी0 अध्यक्ष भी स्थिति पर कड़ी निगरानी रखेंगे एवं उक्त निदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

मानव श्रृंखला में वर्ग-5 एवं उससे उपर के बच्चे को भाग लेना है। अतएव सभी बच्चे शिक्षकों की देख रेख में श्रृंखला में भाग लेंगे एवं श्रृंखला समाप्ति के बाद घर तक पहुँचाये जाऐंगे। छोटे बच्चे को एवं बालिकाओं को श्रृंखला समाप्ति के बाद बिना अभिभावक या शिक्षक के सड़क पर नहीं छोड़े जायें। उसी प्रकार महिलाओं एवं अधिक उम्र के लोगों के लिए भी श्रृंखला में सावधानी बरती जाय। उक्त निदेश का अनुपालन जिला शिक्षा पदाधिकारी /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा मधेपुरा सुनिश्चित करेंगे एवं संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी /प्रधानाध्यापकों को आवश्यक निदेश देंगे।

(3) **प्रतिनियुक्त सेक्टर पदाधिकारी /बलों का रिहर्सल /ब्रीफिंग** :- सभी प्रखंडों में प्रतिनियुक्त सभी सेक्टर पदाधिकारी /सशस्त्र बल /लाठी बल /महिला बल /गृह रक्षकों को संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी /थानाध्यक्ष अच्छी तरह से मानव श्रृंखला यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण एवं विधि-व्यवस्था संधारण के आयामों से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। इसका अनुपालन संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी सुनिश्चित करायेंगे। प्रतिनियुक्त बलों एवं जन समन्वयकों सेक्टर /जोन इन्चार्ज एवं प्रखंड प्रभारी को जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर पर बैठक आयोजित कर ब्रीफिंग किया चूका है।

(4) **सादे लिबास में प्रतिनियुक्ति** :- असमाजिक तत्वों की गतिविधि पर निगरानी रखने हेतु पर्याप्त संख्या में सादे लिबास में पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति परिचारी प्रवर, मधेपुरा सुनिश्चित करेंगे।

(5) **महिला पुलिस की प्रतिनियुक्ति** :- महिलाओं की गतिविधि पर विशेष रूप से निगरानी रखने हेतु पर्याप्त महिला पुलिस की प्रतिनियुक्ति परिचारी प्रवर, मधेपुरा /संबंधित थानाध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे।

(6) **पहचान पत्र की व्यवस्था** :- सभी समन्वयक /सेक्टर इन्चार्ज /जोनल इन्चार्ज एवं प्रखंड प्रभारी को संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी /थानाध्यक्ष पहचान पत्र समुचित स्तर पर निर्गत करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

(7) **यातायात की व्यवस्था** :- मानव श्रृंखला निर्माण होनेवाले सड़कों पर पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक सभी प्रकार के यातायात बंद रहेंगे। केवल प्रशासनिक, पुलिस, न्यायपालिका, मानव श्रृंखला के आयोजन में शामिल वाहनों, आपातकालीन वाहन यथा एम्बुलेंस /अग्निशामक वाहन /शव वाहन /पानी टैंकर /मीडिया के वाहन एवं ऐसे वाहन जो किसी मरीज को लेकर जा रहे हों। उक्त नियंत्रण से मुक्त रहेंगे। विशेष परिस्थिति में मानव श्रृंखला रूट छोड़कर अन्य वैकल्पिक मार्ग से वाहन का परिचालन किया